



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.44(3)परावि/प्रशि.(बीएफसी-मिनिटस)/2015-16/196

जयपुर, दिनांक 31/5/16

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 06/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा को वाटर प्यूरीफायर राशि रूपये 0.20 लाख, टेलीफोन राशि रू0 0.01 लाख एवं वाटर कूलर राशि रू0 0.30 लाख उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में कुल राशि रूपये 0.51 लाख (अक्षरे रूपये इक्कावन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

मांग संख्या 41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

राशि हजारों में

003- प्रशिक्षण

(01)- एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र

0.51

05 - कार्यालय व्यय (आयोजना भिन्न)

योग:-

0.51

यह स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। नवीन मदों का कय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाण्डेय)

उपायुक्त (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज जयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग मुख्ययालय ।
5. आचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा ।
6. सॉख्यकी/अंक मिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

सहायक लेखाधिकारी